संख्याः 749/सात–1/05/158–ख/2004

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

प्रेष्य,

1. निदेशक,
उद्योग (भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई)
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

2. मण्डलायुक्त,
कुमॉऊ एवं गढ़वाल मण्डल,
उत्तरांचल।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून. दिनांकः 16 मार्च, 2005

विषयः **उत्तरांचल खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 को उत्तरांचल राज्य में लागू किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तरांचल खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 से संबंधित अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही तात्कालिक प्रभाव से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

16/3/05

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

क्रमशः.....पेज 2 पर

पृष्ठांकन संख्याः 749(1)/सात–1/05/158–ख/2004; तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।

(2) उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तरांचल, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना (अग्रेंजी प्रतिलिपि सहित) को राजकीय असाधारण गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें, तथा 500 प्रतियॉ औद्योगिक विकास अनुभाग–1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(4) NIC, Uttaranchal

आज्ञा से,

16/3/05

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

उत्तरांचल सरकार
औद्योगिक विकास विभाग

संख्याः 617/सात/05/158-ख/2004.
देहरादून, 14.03.2005
अधिसूचना

खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 23 ग के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल, खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारन को निवारित करने की दृष्टि से, निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात :–

उत्तरांचल खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005

1. (1.) यह नियमावली उत्तरांचल खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 कही जायेगी। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2.) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. (1.) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :– — परिभाषाएं

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) से है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली के अधीन सरकारी गजट में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्र के लिए और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जिसके लिए उसे अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, से है और वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्न्तगत लोक सेवक समझा जायेगा;

(ग) "वाहक" का तात्पर्य किसी रीति, सुविधा या वाहन से है जिसके द्वारा खनिज का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाय और जिसमे यांत्रिक युक्ति, व्यक्ति, पशु या गाड़ी भी सम्मिलित है;

(घ) "अनुसंधान कार्य" का तात्पर्य बिना किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए और उद्योग में उपयोग हेतु खनिज के लाभार्थ और उच्चीकरण के लिए उसकी उपयुक्तता के परीक्षण के लिए किये गये किसी कार्य, से है;

(ड़) "नियमावली, 1960" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 13 के अधीन बनाई गयी खनिज रियायत नियमावली, 1960 से है;

(च) "नियमावली, 2001" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गयी "उत्तरांचल उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2001(अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) से है;

(छ) "वैज्ञानिक परीक्षण" का तात्पर्य बिना किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए खनिज के रासायनिक या

(संजीव चोपड़ा)

खनिजिय विश्लेषण और उसके रासायनिक एवं खनिजीय घटकों एवं गुणों के निर्धारण के लिए किये गये किसी परीक्षण से है;

(ज) "जिला अधिकारी" का तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर या उपायुक्त से है, जिसमें भूमि स्थित है;

(झ) "अभिवहन पास" का तात्पर्य अधिनियम या तद्धीन बनाई गई नियमावली के उपबन्धों के अनुसार निकाले गये किसी खनिज के विधिपूर्ण परिवहन हेतु खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञापत्र धारक या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी या खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किये गये पास से है।

(2.) शब्द और पद जो परिभाषित नहीं है परन्तु अधिनियम में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये हैं ।

प्रतिषेध धारा 23 ग (1)

3. कोई भी व्यक्ति, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा पत्र धारक का पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी अभिवहन पास के बिना किसी खनिज का उसके खनन किए जाने के स्थान से किसी अन्य स्थान पर न परिवहन करेगा, न उसे ले जायेगा अथवा न परिवहन करायेगा और न ले जाने का कार्य करायेगा।

अभिवहन पास का प्रदाय और उसके लिए फीस

4. (1.) यथास्थिति, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञापत्र धारक या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी या खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिधारी, जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किसी खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पास बुक प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित फीस के साथ एवं रीति के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2.) अभिवहन पास बुक का प्रदाय सम्बन्धित जिले के जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस नियमावली या अधिनियम या तद्धीन बनाई गई किसी अन्य नियमावली के अधीन किया जायेगा।

अभिवहन पास का जारी किया जाना

5. (1.) अभिवहन पास, खनन पट्टाधारी या खनन अनुज्ञा–पत्रधारी या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र–"एन" में मुख्य खनिज के लिए और नियमावली, 2001 के साथ संलग्न प्रपत्र एम0एम0 11 में उपखनिज के लिए जारी किया जायेगा।

(2.) खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिधारी, भण्डार से विधिपूर्ण परिवहन के लिए प्रपत्र– "जे" में अभिवहन पास जारी करेगा।

अध्याय–दो
खनिजों का परिवहन

खनिजों के निरीक्षण हेतु जाँच चौकियों की स्थापना

6. (1.) यदि राज्य सरकार, निकाले गये खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने की दृष्टि से जाँच चौकी की स्थापना को आवश्यक समझे तो वह राज्य के भीतर किसी स्थान या स्थानों पर जाँच चौकी की स्थापना की अधिसूचना कर

सचिव

सकती है।

(2.) किसी स्थान पर जाँच चौकी की स्थापना गजट में अधिसूचित की जायेगी।

(3.) जाँच चौकी का भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जिसके पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि ले जाया जा रहा खनिज अभिवहन पास के अनुसार नहीं है, तो ऐसा अधिकारी उप–नियम (4) के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(4.) (क) जाँच चौकी का भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को खनिज तथा वाहन का अभिग्रहण करने का अधिकार होगा।

(ख) जाँच चौकी का भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे खनिज और वाहन की, जो उसके द्वारा अभिगृहीत किये गये हैं, प्राप्ति रसीद उस व्यक्ति को देगा जिसके कब्जे या नियंत्रण से उसे अभिगृहीत किया गया है।

(ग) जाँच चौकी का भारसाधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी वाहन वाहक के भारसाधक व्यक्ति को उप–नियम (1) और (2) के अधीन स्थापित निकटतम जांच चौकी या निकटतम पुलिस स्टेशन पर खनिज को ले जाने के लिए निर्देश दे सकता है।

खनिजों का परिवहन

7. (1.) खनन पट्टा धारी/खनन अनुज्ञा–पत्रधारी या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वाहन द्वारा खनिजों के सभी प्रेषण के साथ एक अभिवहन पास दो प्रतियों में संलग्न होगा। वाहन वाहक का भारसाधक व्यक्ति, उक्त प्रयोजन के लिए जाँच चौकी पर या राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की मांग पर अभिवहन पास प्रस्तुत करेगा।

(2.) खनिज ढोने वाले सभी वाहन वाहक, जाँच चौकी पर रूकेंगे और सम्बन्धित जाँच चौकी द्वारा रवन्ना दिये जाने के उपरान्त ही प्रस्थान करेंगे। जाँच चौकी का भारसाधक व्यक्ति अभिवहन पास की प्रथम प्रति पर आवश्यक पृष्ठांकन करेगा और उसे तत्काल ऐसे वाहन के संचालक को वापस करेगा और अभिवहन पास की द्वितीय प्रति जांच चौकी के अभिलेखों में रखी जायेगी।

अध्याय–तीन
खनिजों का भण्डारण

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

8. (1.) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रपत्र–"एच" में किया जायेगा।

(2.) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ 500.00 रूपये की अप्रतिदेय शुल्क; पूर्ण पते सहित भण्डार के स्वामी का नाम; भण्डारण स्थल का विवरण; खनिज का नाम, भण्डारित किये जाने वाले खनिज की मात्रा, अनुज्ञप्ति की अवधि तथा भण्डारण का प्रयोजन संलग्न किया जायेगा।

आवेदन का निस्तारण

9. जिलाधिकारी, इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और ऐसी जाँच,

जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् ऐसी मात्रा के लिए जो उसके द्वारा उचित और उपयुक्त समझी जाय, दो वर्ष की अवधि के लिए प्रपत्र–"आई" में अनुज्ञप्ति अनुदत कर सकता है।

अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण

10. खनिज के भण्डार के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की अवधि के समाप्त होने के दिनांक से कम से कम दो माह पूर्व 500.00 रूपये की शुल्क और पूर्व अनुज्ञप्ति के विवरण सहित जिला अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण एक समय में दो वर्ष तक के लिए किया जा सकेगा।

खनिजों के भण्डारण और परिवहन पर निर्बन्धन

11. कोई व्यक्ति :–

(क) अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी स्थान पर किसी खनिज का भण्डारण नही करेगा,

(ख) किसी सार्वजनिक सड़क, रेलमार्ग या किसी सार्वजनिक परिसर से 50 मीटर के भीतर किसी खनिज का भण्डारण नहीं करेगा,

(ग) किसी ऐसी भूमि, जो उसकी नहीं या उसके/उसकी वैध किरायेदारी में नहीं है, का उपयोग खनिजों के भण्डारण के लिए नहीं करेगा,

(घ) खनिजों का परिवहन इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र–"जे" में अभिवहन पास जारी किये बिना, भण्डारण परिसर से किसी अन्य स्थान को नहीं करेगा।

खनिजों का ठीक–ठीक लेखा रखना

12. (1.) ऐसा अनुज्ञप्तिधारी हर समय क्रय किये गये, भण्डारित किये गये या निर्गमित किये गये खनिजों का ठीक एवं बोधगम्य लेखा–जोखा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र–"के" में रखेगा।

(2.) खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिधारी, स्वयं द्वारा भण्डारित और परिवहन किये गये खनिजों के सही लेखा की एक प्रति प्रत्येक माह उस जिलाधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के भीतर भण्डार परिसर स्थित है, इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र–"एल" में प्रस्तुत करेगा।

खनिजों के भण्डारण का निरीक्षण और जाँच

13. (1.) भण्डारित किये गये खनिजों की जांच के प्रयोजन से या अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजन से जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी :–

(क) किसी ऐसे भण्डारण परिसर में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है;

(ख) भण्डार में पड़े हुए खनिजों के स्टाक को तौल सकता है, माप सकता है या उसकी माप ले सकता है;

(ग) कब्जे में रखे गये किसी भी दस्तावेज, बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है;

(घ) ऐसे दस्तावेज, बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण ले सकता है या उसकी प्रतिलिपियां बना सकता है;

(ड़.) खण्ड (ग) में यथा निर्दिष्ट दस्तावेज, बही, रजिस्टर या अभिलेख को मंगा सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है।

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका खनिज के किसी स्टाक पर नियंत्रण

हो या जो उससे सम्बद्ध हो, बुला सकता है या उसका परीक्षण कर सकता है,

(छ) ऐसी सूचना या विवरण मांग सकता है जो आवश्यक समझी जाय।

(2.) यदि खनिज के स्टाक में कोई अवैधता पाई जाती है तो जिला अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को नोटिस दे सकता है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करें और यदि नियत समय के भीतर कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है या इस प्रकार प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति का पर्यवसान किया जा सकेगा और यदि इस प्रकार जांच किया गया स्टाक बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के पाया जाता है तो उसे अधिगृहीत और समपहृत कर लिया जायेगा।

अध्याय–चार
प्रकीर्ण

14. राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस नियमावली की परिधि से छूट प्रदान कर सकती है परन्तु खनिज को मात्र वैज्ञानिक परीक्षण और शोध कार्य के लिए ही भण्डारित किया या ले जाया जाए। छूट

15. जिलाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति इस नियमावली द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करके :– अपील

(क) आदेश की संसूचना के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रपत्र– "एम" में अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(ख) प्रत्येक अपील के साथ 500 रूपये फीस, ऐसे रीति व शीर्ष के अधीन जमा की जाएगी जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(ग) राज्य सरकार अपील किये गये आदेश की, जैसा वह उचित और उपयुक्त समझे, पुष्टि, उपान्तरित या अपास्त कर सकती है।

आज्ञा से,

(संजीव चोपड़ा) 17/10
सचिव
औद्योगिक विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन